पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। विपक्षी प्रत्यर्थी को एक-2 कर आपत्ति लगाई गयी। चाहिए नहीं थी लिखना प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी वकील प्रार्थी की अहम गलती-अहम चैरवी में चाहिए किया जाता है तथा न्यायालय प्रत्यर्थी अस्थाई निषेधाज्ञा डिक्री 9/1 [illegible] किया जाता है पत्रावली फैसले में [illegible] पेश कर फैसलाम रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.04.05 16:10:40 IST
Reason: SelfAttested